13/1/26

वादीगण की ओर से

पत्रावली पेश हुई। वादीगण व प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा पेश हुआ जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामे के अनुसार पारित डिक्री किया गया। निर्णय पृथक से लिखवाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुदा होकर नतीजा में दर्ज रजिस्टर हो। अभिलेखागार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:05:53 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास प्रेमराज मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1. जगन्नाथ पुत्र कल्ली
2. बाबू पुत्र कल्ली
3. मुकेश पुत्र सुंदर
4. सुआबाई पत्नि सुंदर
5. परसराम पुत्र सोमले
6. शेरसिंह पुत्र सोमले
7. राजेन्द्र पुत्र सोमले
8. मायाबाई
9. गोरधनी
10. विमला
11. कृष्णा

(8–11) पुत्रियान सोमले

12. रामकली पत्नि सोमले
13. पप्पू उर्फ गौरीशंकर
14. शिवसिंह
15. हरकेश
16. राजो
17. आशा
18. हल्की

(13–18) पुत्र पुत्रियान स्व0 हजारी

19. सरबती पत्नि स्व0 हजारी
20. कैलाश
21. कमला बाई
22. अमरो

(20–22) पुत्र पुत्रियान हीरालाल

23. पानो पत्नि स्व0 हीरालाल
24. प्रकाश पुत्र जगमोहन
25. धर्मसिंह पुत्र चौथीलाल
26. ओमप्रकाश पुत्र रामगिलास

जातियान माली निवासीयान सांकरा, भीकमपुरा तहसील करौली जिला करौली

–वादीगण

बनाम

1. सुशीला
2. पुष्पा
3. चन्द्रो

(1–3) पुत्रियान स्व0 चौथीलाल

4. नर्वदा पत्नि स्व0 चौथीलाल
5. राजन्ती पत्नि नारायणसिंह
6. कंचन बेवा रामजीलाल
7. बीलू पुत्री रामजीलाल
8. जग्गो पुत्री रामजीलाल
9. रवि
10. गजानंद

(9–10) पुत्रान जगमोहन

11. रमेश पुत्र दुनदुन
12. रामऋषि पत्नि रामगिलास
13. रम्पो
14. माया

(13–14) पुत्रियान दुनदुन

15. मोहनबाई
16. सुआबाई

(15–16) पुत्रियान कल्ली

17. कलावती
18. भन्ती

(17–18) पुत्रियान रामरतन

जातियान माली निवासीयान सांकरा, भीकमपुरा तहसील करौली जिला करौली

19. धर्मेन्द्र मीना पुत्र रामचरण मीना जाति मीना निवासी चनोटा कुल्होली तहसील सबलगढ जिला मुरैना (म.प्र.)
20. रियाज कुरैशी पुत्र राजू कुरैशी जाति मुसलमान निवासी वजीरपुर गेट बाहर करौली तहसील व जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meen
Date: 2026.05.04 13:05:53 IST
Reason: SelfAttested

21. हरिप्रकाश रावत पुत्र मोतीलाल रावत जाति रावत निवासी बरड तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना (म.प्र.)
22. तारासिंह मीना पुत्र रामप्रसाद मीना जाति मीना निवासी [illegible] तहसील [illegible] जिला करौली
23. अशोक कुमार पुत्र माली
24. मैरोबाई पुत्री माली (फौत)
    24/1 रामप्रकाश
    24/2 प्रेमसिंह
    24/3 अनुसुईया
    24/4 मीना
25. सुआबाई
26. सतो
27. अतरो देवी
    जातियान माली निवासीयान साकन मौजमपुरा तहसील करौली जिला करौली
28. तहसीलदार, तहसील करौली, जिला करौली

—प्रतिवादीगण

दावा बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 आरटी एक्ट

मुकदमा नं. 33/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्दई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री रामजीलाल अग्रवाल, एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू **श्री ललित कुमार शर्मा, एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अत: वादीगण व प्रतिवादीगण के मुताबिक राजीनामा के अनुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। राजीनामा मय नक्शा डिक्री का जुज रहेगा। वादीगण खसरा नंबर 1280 रकबा 73 बीघा ग्राम मौजमपुरा पटवार हल्का हरनगर तहसील करौली का वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 27 के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2076–79 में दर्ज हिस्सा अनुसार बंटवारा कराने के अधिकारी है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार, करौली को पालनार्थ भिजवायी जावे। खर्चा फरीकान अपना–अपना वहन करें। तदानुसार डिक्री जारी हो।

[illegible] ______________ मुवक्किल ______________ बाबत ______________ खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बशरह [illegible] ______________ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ______________ का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 13/1/26 को सन् 2026 को जारी की गई।

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी,
करौली (करौली)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बाजद सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.04 13:05:53 IST
Reason: SelfAttested

नोट:— इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिग्री के [illegible] लिखा जावे [illegible] किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:—33 / 24 तारीख रजु:—4.9.2024

उनवान

1. जगन्नाथ पुत्र कल्ली
2. बाबू पुत्र कल्ली
3. मुकेश पुत्र सुंदर
4. सुआबाई पत्नि सुंदर
5. परसराम पुत्र सोमले
6. शेरसिंह पुत्र सोमले
7. राजेन्द्र पुत्र सोमले
8. मायाबाई
9. गोरधनी
10. विमला
11. कृष्णा

   } पुत्रियान सोमले

12. रामकली पत्नि सोमले
13. पप्पू उर्फ गौरीशंकर
14. शिवसिंह
15. हरकेश
16. राजो
17. आशा
18. हल्की

   } पुत्र पुत्रियान स्व0 हजारी

19. सरबती पत्नि स्व0 हजारी
20. कैलाश
21. कमला बाई
22. अमरो

   } पुत्र पुत्रियान हीरालाल

23. पानो पत्नि स्व0 हीरालाल
24. प्रकाश पुत्र जगमोहन
25. धर्मसिंह पुत्र चौथीलाल
26. ओमप्रकाश पुत्र रामगिलास
    जातियान माली निवासीयान सांकरा, भीकमपुरा तहसील करौली जिला करौली

—वादीगण

बनाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meen
Date: 2026.05.04 13:05:53 IST
Reason: SelfAttested

1. सुशीला
2. पुष्पा
3. चन्द्रो

   } पुत्रियान स्व0 चौथीलाल

4. नर्वदा पत्नि स्व0 चौथीलाल
5. राजन्ती पत्नि नारायणसिंह
6. कंचन बेवा रामजीलाल
7. बीलू पुत्री रामजीलाल
8. जग्गो पुत्री रामजीलाल

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

9. रवि ⎤
10. गजानंद ⎦ पुत्रान जगमोहन
11. रमेश पुत्र दुनदुन
12. रामत्रऋषि पत्नि रामगिलास
13. रम्पो ⎤
14. माया ⎦ पुत्रियान दुनदुन
15. मोहनबाई ⎤
16. सुआबाई ⎦ पुत्रियान कल्ली
17. कलावती ⎤
18. भन्ती ⎦ पुत्रियान रामरतन

जातियान माली निवासीयान सांकरा, भीकमपुरा तहसील करौली जिला करौली

19. धर्मेन्द्र मीना पुत्र रामचरण मीना जाति मीना निवासी चनोटा कुल्होली तहसील सवलगढ जिला मुरैना (म.प्र.)

20. रियाज कुरैशी पुत्र राजू कुरैशी जाति मुसलमान निवासी वजीरपुर गेट बाहर करौली तहसील व जिला करौली

21. हरिप्रकाश रावत पुत्र मोतीलाल रावत जाति रावत निवासी बतेड तहसील सबलगढ जिला मुरैना (म0प्र0)

22. तारासिंह मीना पुत्र हरप्रसाद मीना जाति मीना निवासी खिरकन तहसील मंडरायल जिला करौली

23. अशोक कुमार पुत्र मांगी

24. भैरोबाई पुत्री मांगी (फौत)

24 / 1. रामकेश

24 / 2. प्रेमसिंह

24 / 3. अनुसुईया

24 / 4. मीरा

25. सुआबाई

26. संतो

27. अतरो देवी

जातियान माली निवासीयान सांकरा, भीकमपुरा तहसील करौली जिला करौली

28. तहसीलदार, तहसील करौली, जिला करौली

—प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2026.05.04 13:05:5
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

दावा बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 आरटी एक्ट

–::निर्णय::–

दिनांक :– 13/1/26

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 1280 रकबा 73 बीघा वांके ग्राम भीकमपुरा पटवार हल्का हरनगर तहसील करौली व जिला करौली में स्थित है। उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 18 एवं प्रतिवादी संख्या 23 लगायत 27 के पूर्वज मांगी, कल्ली, रामरतन के समय की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की पुश्तैनी आराजीयात रही है। विवादित आराजीयात में वादीगण संख्या 1 लगायत 19 कल्ली में वारिसान है जिसमें विवादित आराजीयात में वादीगण का 1/3 हिस्सा तथा वादीगण संख्या 20 लगायत 26 एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 18 रामरतन के वारिसान का 1/3 हिस्सा कब्जे काश्त का रहा है तथा शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 23 लगायत 27 के पिता मांगी पुत्र लोडू का रहा है। वादीगण उपरोक्त हिस्सानुसार अपने हिस्से को काश्त करते चले आ रहे है। प्रमाण पत्र में जमाबंदी संवत 2076–79 प्रस्तुत है। वादीगण मुताबिक जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड अपने हिस्से पर प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से काबिज काश्त बतौर खातेदार है और वादीगण अपने हिस्से को शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी खसरा नंबर 1280 रकबा 73 बीघा वांके ग्राम भीकमपुरा की जमाबंदी में हिस्सा बट पृथक से नहीं हो रहे है। उक्त आराजीयात संयुक्त रूप से काश्त हो रही है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 18 अपने 2/3 हिस्से का संयुक्त से काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण संख्या 23 लगायत 27 ने प्रतिवादी संख्या 19 लगायत 22 व्यक्तियों को विवादित आराजीयात में अपने हिस्से में से बेचान करना शुरू कर दिया है तथा बेचान कर दिया है जो अजनबी व्यक्ति है। जिसके इन्द्राज जमाबंदी में हो चुके है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 18 के हिस्से जमाबंदी में इन्द्राज नही कर रखे है। प्रतिवादीगण संख्या 19 लगायत 27 ने

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.04 13:05:53
Reason: SelfAttested

एकराय होकर वादीगण को अपने हिस्से से बेदखल करने की नीयत से खसरा नंबर 1280 रकबा 73 बीघा वांके ग्राम भीकमपुरा में योजना बनाकर प्लांटिग का नक्शा तैयार कर उक्त खसरा नंबर में भूखण्ड तैयार कर लिये है तथा जेसीबी लाकर भूमि को समतलीकरण करते हुये वादीगण के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि को बिना तरमीम एवं कनवर्जन कराये कृषि भूमि को अकृषि में बदलते हुए बिना बंटवारा कराये बेचान करने पर उतारू है जबकि वादीगण अपने हिस्से को शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 19 लगायत 27 ने एकराय होकर ऐलानिया दिनांक 30.07.2024 को खेतों पर आकर अन्य दीगर व्यक्तियों को लाकर ऐलानिया कहा है कि हम तो आराजी में प्लांटिग करेंगे तथा बेचान करेंगे और तुम्हें बेदखल करके छोडेगे। तुम्हारा उक्त जमीन में कोई सरोकार नहीं है ना ही कोई लेना देना है। वादीगण ने मना किया तो झगडा करने पर आमादा फिसाद हो गये तथा बंटवारा करने से साफ इन्कार हो गये। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण से बंटवारा कराकर पृथक से राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कराने के अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने के अधिकारी है कि बगैर बंटवारा कराये वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान ना तो स्वंय डाले ना ही दीगर से डलवाएं तथा कृषि भूमि को अकृषि भूमि में बिना कनवर्जन कराए भूखण्ड काटकर बेचान नहीं करें तथा मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 18 ने दिनांक 30.07.2024 को प्रतिवादीगण संख्या 19 लगायत 27 से अपने 2/3 हिस्से का बंटवारा हिस्सानुसार कराने की कहा तो प्रतिवादीगण संख्या 19 लगायत 27 साफ इंकार हो गये तथा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 19 लगायत 27 ने ऐलानिया धमकी दी है कि हम तो उक्त खसरा नंबर में प्लांटिग करेंगे और तुम्हें काश्त नहीं करने देंगे। प्रतिवादी संख्या 19 लगायत 27 जेसीबी व ट्रेक्टरों से भूमि में कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित करते हुये प्लांट काटकर दीगर व्यक्तियों को रहन, वय कर प्लांट काटकर वादीगण को जबरन बेदखल करने की एवं कब्जे काश्त में व्यवधान डालने पर तुले हुय है। प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verifi
Digitally signed by Prem
Date: 2026.05.04 13:05:5
Reason: SelfAttested

संख्या 19 लगायत 27 विवादित भूमि का बिना विधिवत बंटवारा कराये दीगर व्यक्तियों को रहन वय, करने का विधिक अधिकार नहीं है एवं भूमि कृषि भूमि है, इसलिए प्रतिवादीगण को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये भूमि के स्वरूप को बदलने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए वादीगण को वाद पत्र प्रस्तुत करान आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजीयात के बिना बंटवारा कराये दीगर व्यक्तियों को रहन, वय करकर वादीगण को जबरन बेदखल करा दिया तो और वादीगण को फसल काश्त नहीं करने दी, फसल लाभ नहीं लेने दिया तो प्रतिवादीगण की इस अनाधिकार कार्यवाही से हक हकूक वादीगण पर भारी आघात होगा। वादीगण को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा होगी। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। विनाय मुखास्मत दावा दिनांक 30.07.2024 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से बंटवारा कराने की कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा साफ इंकार होने पर एवं भूमि में प्लांट काटकर दीगर व्यक्तियों को विक्रय कर वादीगण को जबरन बेदखल करने की एवं कब्जे काश्त में व्यवधान डालकर फसल लाभ नहीं लेने देने की ऐलानिया कहने पर अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुआ। अंत में दावा वादी डिक्री कराने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 व 7 ता 14 व 17 व 18 ने जबाव देना नहीं चाहा। अन्य प्रतिवादीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके है। प्रतिवादी नंबर 19 ता 22 की ओर से जबाव दावा पेश किया है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 1280 रकबा 73 बीघा का ग्राम भीकमपुरा पटवार हल्का हरनगर तहसील व जिला करौली में स्थित होना एवं वादीगण का 1/3 हिस्सा होना स्वीकार है बाकी इबारत जिस तौर पर दर्ज है वादीगण को अपनी विधिवत साक्ष्य से साबित करना है। प्रतिवादी संख्या 19 ता 22 का वादग्रस्त भूमि में 15/73 वां हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 19 ता 22 के हिस्से का मौके पर बंटवारा हो रहा है और मैड डोल बनी हुयी है प्रतिवादी संख्या 19

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2026.05.04 13:05:5
Reason: SelfAttested

... अधिकारी
करौली (राज०)

ता 22 का हिस्सा लवे सड़क करौली मण्डरायल पर स्थित है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 19 ता 22 यौम खरीद दिवस दिनांक 18.03.2023 व दिनांक 20.03.2023 से काबिज काश्त बतौर खातेदार है। वाद पत्र का मद नंबर 2 जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि का मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाहमी बंटवारा हो रहा है मात्र राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा होना शेष है भमि को वादीगण व प्रतिवादीगण हिस्सानुसार अलग–अलग काश्त कर काबिज चले आ रहे है। मौके पर भूमि का प्रतिवादी संख्या 19 ता 22 के साबिक खातेदारान के समय से वीसीयों वर्ष पूर्व से हो रहा है वादीगण ने इस मध्य में सारे तथ्य गलत व मनगढंत वेग व निराधार मात्र वाद कारण बनाने की बदनियति से दर्ज किये हैं। वादीगण दावा की आड में प्रतिवादी संख्या 19 ता 22 के हिस्सा व कब्जे की भूमि सड़क सहारे को हडपना चाहते है। जिसका वादीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं है प्रतिवादी संख्या 19 ता 22 ने वाहमी बंटवारा अनुसार वादीगण के हिस्से का बंटवारा करने से कभी इंकार किया है वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण को कोई वाद कारण दिनांक 21.07.2024 को प्रतिवादीगण के विरूद्व पैदा नहीं हुआ है। दावा वादीगण वाद कारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र मद नं. 3 जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नहीं है। दिनांक 30.07.2024 को प्रतिवादी संख्या 19 ता 22 से अपने हिस्से का मौके पर हो रहे वाहमी बंटवारा अनुसार बंटवारा कराने की नहीं कहा है वादीगण ने वाद पत्र में वेग व निराधार असत्य तथ्य दर्ज किये है और असत्य तथ्य दर्ज कर कर वाद पत्र प्रस्तुत किया है भूमि का मौके पर बाहमी बंटवारा वीसीयों वर्ष पूर्व से हो रहा है और वादीगण व प्रतिवादी मौके पर अलग–अलग काबिज है। प्रतिवादीगण संख्या 19 ता 27 द्वारा भूमि को कृषि भूमि से अकृषि भूमि में परिवर्तित नहीं किया ह`ना ही कोई प्लांट काटकर दीगर व्यक्तियों को प्लांट रहन, वय किये है मौके पर प्रतिवादी संख्या 1922 अपने 15/73 हिस्सा पर अलग से काबिज है। वादीगण अपने हिस्से पर वाहमी बंटवारे में आये हिस्से पर अलग

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem F
Date: 2026.05.04 13:05:5
Reason: SelfAttested

अधिकारी
करौली (राज०)

से काबिज है तब प्रतिवादी संख्या 19 ता 22 द्वारा वादीगण के कब्जे में व्यवधान डालने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है प्रतिवादी संख्या 19 ता 22 को अपने हिस्से को रहन, बय करने का काश्त करने का फसल लाभ लेने का विधिक अधिकार है जिसे वादीगण को रोकने का विधिक अधिकार नहीं है। वादीगण को कोई वाद कारण दिनांक 30.07.2024 को खिलाफ प्रतिवादीगण पैदा नहीं हुआ है दावा वादी वाद कारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र का मद नं. 4 जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नहीं है। भूमि का मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य वाहमी बंटवारा वीसीयों वर्ष पूर्व हो चुका है और वादीगण व प्रतिवादीगण अलग–अलग काबिज काश्त है तब वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा फसल लाभ नहीं लेने देने का प्रशन ही पैदा नहीं होता है प्रतिवादीगण ने कोई अधिकार कार्य नहीं किया है वादीगण के किसी हक हकूक पर कोई आघात नहीं है वादीगण को कोई अपूर्णीय क्षति व असुविधा नहीं है वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। दिनांक 30.07.2024 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से भूमि के वाहमी बंटवारा अनुसार बंटवारा कराने की नहीं कहा है तब प्रतिवादीगण द्वारा इंकार करने का एवं भूमि में भूखण्ड काटकर दीगर व्यक्तियों को विक्रय कर वादीगण को जबरन बेदखल करने की कहने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है वादीगण अपने वाहमी बंटवारे में आई 1/3 हिस्सा भूमि पर अलग से काबिज है तब प्रतिवादीगण द्वारा काश्त में व्यवधान पैदा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादीगण को कोई वाद कारण दिनांक 30.07.2024 को खिलाफ प्रतिवादीगण पैदा नहीं हुआ है दावा वादी वाद कारण के अभाव में मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। अंत में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2026.05.04 13:05:5
Reason: SelfAttested

अतः वादीगण व प्रतिवादीगण के मुताबिक राजीनामा के अनुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। राजीनमा मय नक्शा डिक्री का जुज रहेगा। वादीगण खसरा नंबर 1280 रकबा 73 बीघा ग्राम भीकमपुरा पटवार हल्का हरनगर तहसील करौली का वादीगण एवं

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

प्रतिवादीगण 1 ता 27 के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2076–79 में दर्ज हिस्सा अनुसार बंटवारा कराने के अधिकारी है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार, करौली को पालनार्थ भिजवायी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदानुसार 'डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/1/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:05:53 IST
Reason: SelfAttested